

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 8/2017

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़

— प्रार्थी

बनाम

श्री अनिल सैन पिता श्री बद्रीलाल, मेसर्स सोनाली रेस्टोरेण्ट, नीमच रोड़, रठांजना जिला प्रतापगढ़
— अप्रार्थी

:—आदेश—:


दिनांक 22/03/2017

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टैण्डर्ड मावा बर्फी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट अराल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं 6 की प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं 6 की पुस्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विक्रेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 30.10.2016 को 11.00 ए.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेसर्स सोनाली रेस्टोरेण्ट, नीमच रोड़, रठांजना तहसील व जिला प्रतापगढ़ पहुंचा व अपना परिचय दिया । उस समय दुकान पर श्री अनिल सैन पिता श्री बद्रीलाल विक्रेता आम जनता को विक्रय वास्ते मावा बर्फी, नुक्ती के लड्डू आदि रखे हुए थे। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान का मालिक स्वयं होना बताया व स्थाई निवासी गांव रठांजना तहसील व जिला प्रतापगढ़, होना बताया ।

1





न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मालिक व विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया जहां एक लोहे की ट्रे के अन्दर लगभग 8 किलो मावा बर्फी आमजन को बिक्री वास्ते रखी हुई थी। मावा बर्फी को जांच हेतु देखा, देखने पर मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर मालिक को रूबरू गवाह फार्म नं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर मौके पर मावा बर्फी का नमूना लेने की लिखित सूचना फार्म नं0 5 ए के द्वारा विक्रेता को दी फार्म नं. 5 ए एक प्रति विक्रेता को देकर दूसरी प्रति पर विक्रेता की प्राप्ति रसीद ली। तत्पश्चात गवाहान की उपस्थिति में लोहे की ट्रे में जिसमे 8 किलो मावा बर्फी रखी हुई थी मे से 2 किलो मावा बर्फी एक साफ सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में नमूना वास्ते जांच हेतु खरीदा । जिसकी कीमत विक्रेता को 500 रु0 नकद देकर रसीद प्राप्त की ।

नमूना मावा बर्फी को 4 खाली डिब्बों में बराबर- बराबर डालने के पश्चात प्रत्येक में 40-40 बूंदे फार्मलीन की बतोर प्रिजरवेटीव डालकर एयर टाइट सीलबन्द कर व लेबल पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई-807 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी , गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर कराते हुए चिपकाने सम्बन्धी कार्यवाही करने के बाद प्रत्येक डिब्बे को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को गोद से चिपकाया गया । तत्पश्चात डी0ओ0 प्रतापगढ के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रमांक वाई-807 गोद से गोलाई में चिपकाई , धागे से बांध कर सिल चपड़ी से सीलबन्द मोहर किया गया । चारों नमूना जारों पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई-807 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं गवाह ने हस्ताक्षर किये , विक्रेता ने पेपर स्लिप व खाकी कागज कौंस करते हुए अपने हस्ताक्षर किये । निगमानुसार नमूना लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिये गये चारों नमूनों को अपने जाप्ते में लिया । मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौका फर्द बनाई गई जिसे विक्रेता व गवाहान को पढ़कर, सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा गया, जिन्होंने पढ़, सुन समझकर कर अपने हस्ताक्षर किये । जिस सील से नमूना सिल किया था जिसका निशान मौके पर ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द पर अंकित किया । उक्त समस्त कार्यवाही गवाहान की उपस्थिति में की गई ।

कार्यालय में पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था । फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 02.11.2016 को देकर रसीद प्राप्त की । 1 नमूना मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 02.11.2016 को जमा करा कर रसीद प्राप्त की । शेष 2 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है । शेष चौथा नमूना मय फार्म नं0 6 की प्रति चपड़ी से सिलबन्द सिलमोहर कर दिनांक




खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

02.11.2016 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जमा कराई, प्राप्ति रसीद फार्म नं० 6 को पुस्त पर है ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया मावा बर्फी का नमूना सब स्टैण्डर्ड पाया गया है । अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड पत्र भेजा गया । अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री अनिल सैन को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया ।


अप्रार्थी अभियुक्त को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढ़कर अवगत कराया गया । अप्रार्थी अभियुक्त ने उसके उपर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करते हुए कहा कि उसके द्वारा मावा बर्फी त्योहार के अवसर पर बनाई गई थी। अतः उसके विरुद्ध की जा रही कार्यवाही निरस्त कराने हेतु निवेदन किया है ।

चुंकी अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपने उपर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर लिया गया है किन्तु दौराने बहस अप्रार्थी द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नही करने का मौखिक आश्वासन भी दिया है तथा इस हेतु यथोचित आदेश की पालना भी करने का आश्वासन दिया है ।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. 693/एक्ट/2016/678 दिनांक 04.11.2016 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रही मावा बर्फी का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया है , अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा स्वयं के द्वारा मिलावट नही करने बाबत कहने या उसके द्वारा निर्मित व विक्रय की गई मिठाई के बारे में कोई मिलावट नही करना बताने से अप्रार्थी का दाष कम नही हो सकता है । चुंकि अभियुक्त अप्रार्थी के यहां से लिया गया मावा बर्फी का नमूना खाद्य विश्लेषक की जांच में सब स्टैण्डर्ड का पाया गया है जिससे अप्रार्थी अभियुक्त सब स्टैण्डर्ड विक्रय करने का दोषी पाया जाता है ।


अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । उपरोक्त प्रावधान को




न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

मददेनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुमाने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है । अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री अनिल सैन पिता श्री बद्रीलाल मेसर्स सोनाली रेस्टोरेण्ट, नीमच रोड़, रठांजना तहसील व जिला प्रतापगढ़ पर 5000/- (अक्षरे पाँच हजार रूपये मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है । अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 22.03.2017 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2017 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।


(अनुराग भार्गव) एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़


क्रमांक/रीडर/2016/57-59

दिनांक 19/03/2016

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री अनिल सैन पिता श्री बद्रीलाल मेसर्स सोनाली रेस्टोरेण्ट, नीमच रोड़, रठांजना तहसील व जिला प्रतापगढ़




(अनुराग भार्गव) एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़